प्रेस नोट दिनांक 19.05.2026

थाना कैंट जनपद बरेली।

थाना कैंट #bareillypolice एवं STF UNIT BAREILLY की संयुक्त कार्यवाही में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर को 2.120 KG अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य करीब 21 लाख रु0) सहित किया गिरफ्तार।

दिनांक 18.05.2026 को थाना कैंट एवं STF UNIT BAREILLY टीम की संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए समय 18.45 बजे उमरसिया मोड़ से पहले श्यामलाल के मकान मे कांधरपुर थाना कैण्ट जनपद बरेली से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 अन्तर्राज्यीय तस्कर 1. राजू कुमार डांगी पुत्र भुनेश्वर डांगी नि० दारियातू थाना चतरा जिला चतरा, झारखण्ड 2. महेश पाल पुत्र जमुना प्रसाद नि० ग्राम इंडोलिया भोलापुर थाना कैण्ट, जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 किलो 120 ग्राम अफीम अवैध (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 21 लाख रूपये), कुटकी 300 ग्राम, चपडा चाप 700 ग्राम, गोंद 2.180 किग्रा, काला रंग 88 ग्राम तेल 130 ग्राम, चीनी 145 ग्राम, पिघला हुआ गोंद 630 ग्राम, 02 डिजिटल तराजू छोटी व बड़ी, एक गैस सिलेण्डर व भट्टी, लोहे की कढ़ाई व पलटा, पालिथिन पैकिंग व सील करने वाली मशीन, 02 स्मार्ट फोन सहित गिरफ्तार किय गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैंट पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्तगणः-

1. राजू कुमार डांगी पुत्र भुनेश्वर डांगी नि० दारियातू थाना चतरा जिला चतरा, झारखण्ड ।
2. महेश पाल पुत्र जमुना प्रसाद नि० ग्राम इंडोलिया भोलापुर थाना कैण्ट, जनपद बरेली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 240 / 2026 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट

बरामदगी का विवरण-

- 2.120 KG अफीम अवैध (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 21 लाख रू0), कुटकी 300 ग्राम, चपडा चाप 700 ग्रा0, गोंद 2.180 किग्रा
- काला रंग 88 ग्राम तेल 130 ग्राम, चीनी 145 ग्राम
- पिघला हुआ गोंद 630 ग्राम,
- 02 डिजिटल तराजू छोटी व बड़ी
- एक गैस सिलेण्डर व भट्टी, लोहे की कढ़ाई व पलटा
- पालिथिन पैकिंग व सील करने वाली मशीन
- 02 स्मार्ट फोन।

पूछताछ विवरण अभियुकतगणः-

अभियुक्त राजू कुमार डांगी द्वारा बताया गया कि वह झारखण्ड राज्य के चतरा जिले का रहने वाला है तथा वह रांची से अवैध मादक पदार्थ अफीम को लेकर आता है तथा जनपद बरेली मे महेश पाल उपरोक्त को देता है । अभियुक्त महेश पाल द्वारा बताया गया

कि वह इस अफीम मे अन्य कैमिकल व नशीले पदार्थो को मिलाकर मिश्रण कर ज्यादा मात्रा मे अफीम को तैयार करता था तथा इसे उ०प्र०, पंजाब, दिल्ली व उत्तराखण्ड़ मे सप्लाई करता था । इस कार्य मे यह परिवहन एवं बिकी की व्यवस्था भी स्वंय करता था तथा इससे होने वाले लाभ से जीवीकोपार्जन हेतु उपयोग करते थे।

अभियुक्त महेश पाल आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 348/2023 धारा - 18/29(1), 8 एनडीपीएस एक्ट थाना कैण्ट जनपद-बरेली।

2- मु0अ0सं0-631/ 2024 धारा - 126(2),132,190,191(2) BNS व 7 क्रि०एक्ट थाना कैण्ट, जनपद बरेली।

पुलिस टीम

उ0नि0 श्री अमित कुमार STF UNIT BAREILLY मय टीम

उ0नि0 त्रिवेन्द्र कुमार थाना कैंट, बरेली

हे0का0 663 संदीप कुमार थाना कैंट, बरेली